SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

राज्य के आर्थिक विकास में पंचायतों की भूमिकाः रायपुर संभाग के संदर्भ में

मधुलिका अग्रवाल, पी–एच.डी., शोध निदेशक, **काजल साहू,** शोधार्थी, वाणिज्य संकाय
शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors

मधुलिका अग्रवाल, पी–एच.डी., शोध निदेशक
काजल साहू, शोधार्थी

E-mail : drmadhulika.agrawal1@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 09/05/2025
Revised on : 10/07/2025
Accepted on : 19/07/2025
Overall Similarity : 00% on 11/07/2025

शोध सार

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 'ग्राम स्वराज' का सपना और 'लोगों को शक्ति' का आदर्श वाक्य सच्चे लोकतंत्र का सार है। इन बड़ी संख्या में पंचायतों की क्षमता निर्माण का कार्य काफी विशाल अभ्यास है। पंचायती राज मंत्रालय के आकलन के अनुसार 73वें संविधान (संशोधन) अधिनियम के लागू होने के 31 साल बाद और भारत में कई राज्यों में पंचायत चुनावों के तीन दौर होने के बाद भी पंचायतों का सशक्तिकरण उस तरह नहीं हुआ है जैसा कि 1992 में 73वें संविधान (संशोधन) अधिनियम में परिकल्पित किया गया था इसलिए आर्थिक विकास कार्यक्रमों की अवधारणा और कार्यान्वयन राष्ट्रीय विकास रणनीति के हिस्से के रूप में किया जाता है। आर्थिक विकास की वर्तमान रणनीति मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन, बेहतर आजीविका के अवसरों, मजदूरी और स्वरोजगार के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान पर केन्द्रित है। इस आलेख का उद्देश्य राज्य के आर्थिक विकास में पंचायतों की भूमिका और उनके कामकाज को बेहतर बनाने के उपायों पर जोर देना है। आर्थिक विकास की पहल देश द्वारा अपने विकास के विभिन्न चरणों में अपनाई गई राष्ट्रीय विकास रणनीति से उभरी है।

मुख्य शब्द

पंचायत राज संस्थाएं, ग्रामीण विकास, समीक्षा.

परिचय

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा को मूर्तरूप देने हेतु राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था लागू की गई है। संविधान में पंचायतों की संकल्पना स्वशासन की ऐसी संस्था के रूप में की गई है, जो संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित 29 विषयों पर आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार

करने एवं उनके कार्यान्वयन में सक्षम हो। इस हेतु छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 49, 50 एवं 52 पर क्रमशः ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायतों को दायित्व एवं शक्तियां सौंपे गए हैं।

पंचायत संचालनालय द्वारा मुख्यतः 15वें वित्त आयोग, जन योजना अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों का क्षमता विकास योजना, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का क्षमता विकास योजना, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना, जिला पंचायत विकास निधि, जनपद पंचायत विकास निधि, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना आदि के कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराये जाते हैं। विभाग अंतर्गत 2 विभागाध्यक्ष कार्यालय हैः 1. विकास आयुक्त, 2. पंचायत संचालनालय।

1. **विकास आयुक्तः** विभागाध्यक्ष विकास आयुक्त की स्थापना में राज्य स्तर पर निम्न अधीनस्थ संस्थाएं हैः
    1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
    2. सामाजिक अंकेक्षण इकाई।
    3. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण।
    4. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।
    5. रूर्बन मिशन।
    6. स्वच्छ भारत मिशन– ग्रामीण।
    7. छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण।
    8. ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई।
    9. प्रशिक्षण संस्थाएंः ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान।

प्रशिक्षण संस्थाओं को छोड़कर उपरोक्त सभी योजनाओं हेतु भारत सरकार से ग्रामीण विकास हेतु बजट प्राप्त होते हैं, जिसमें राज्यांश के अंश भी शामिल होते है। उपरोक्त सभी कार्यालयों हेतु पृथक–पृथक सेटअप स्वीकृत है साथ ही इनकी शाखाएं जिलों में भी अवस्थित है। विभागाध्यक्ष अंतर्गत प्रशासनिक मामले के अलावा तकनीकी मामले भी है, जो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधीन कार्य करते है, जिनके माध्यम से निर्माण कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहायता दी जाती है। इस पत्र के माध्यम से राज्य के आर्थिक विकास में पंचायतों की भूमिका अध्ययन करना होगा।

भारतीय संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं का विकास

प्रारंभिक दौर में देश के तहत काम करने वाले दोनों संगठन, पंचायती राज व्यवस्था और सामाजिक विकास संगठन ने कुछ दिनों तक पृथक–पृथक रूप से कार्य किया। वास्तव में, आरंभ में इन दोनों की समस्याएं अलग–अलग देखी जा रही थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित जमींदारी प्रथा में अनेक त्रुटियाँ देखी जाने लगीं। जमींदारी प्रथा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तो दूर उनमें दिन–प्रतिदिन त्रुटियाँ और अधिक बढ़ती गई। अतः स्वतंत्र भारत में संविधान–निर्माताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान हेतु मुख्यतः दो सुझाव दिए तथा उनका संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेख भी किया (1) पंचायतों का विकास इस क्रम से हो कि शासन की स्वायत्त इकाइयाँ बन सकें (अनु. 40), (2) ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक तथा सहकारी आधार पर विकसित करने की योजना तथा कृषि व पशुपालन का वैज्ञानिक ढंग से संचालन (अनु. 43 तथा धारा 48 क्रमशः)। इन दोनों कार्यों की ओर शीघ्र कदम भी उठाए गए।

आजादी के बाद सन् 1948 में मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जनपदों को शुरू करने की दिशा में अनेक प्रयत्न किये गये। सामुदायिक विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, कुटीर तथा लघु उद्योग

को प्रोत्साहित करने का प्रयास भी किया गया। इस संबंध में अमेरिका द्वारा 500 लाख डालर की सहायता द्वारा लगभग 55 परियोजनाओं में कार्य भी आरंभ किया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु बनाये गये कार्यक्रम तभी सफल होंगे जब उसमें स्थानीय लोगों की मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास योजनाओं का आपसी संबंध बहुत घनिष्ठ है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जितना स्थानीय स्वायत्त इकाइयों द्वारा हो सकता है, उतना किसी बाहरी अथवा ऊपरी संस्थाओं द्वारा नहीं हो सकता। सामुदायिक विकास से प्राप्त लाभ से पंचायती राज संस्थाएं उच्चकोटि के राजनीतिक शिक्षण तथा अनुभव का प्रदर्शन कर सकती हैं।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा पंचायती राज से संबंधित कार्यों को एक रूप देने के लिए 1956 में श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश एवं तत्पश्चात संपूर्ण देश में पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया।

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था

पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तर निम्नलिखित हैं:

1. ग्राम पंचायत।
2. पंचायत अथवा खण्ड समिति।
3. जिला परिषद्।

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं, भारत के लगभग सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू है, सिवाय नागालैण्ड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली को छोड़कर। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, लक्षदीप, मणिपुर, पुडुचेरी और सिक्किम राज्योंध्संघ राज्य क्षेत्रों में दो स्तरीय पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में है।

साहित्य की समीक्षा

केदार कुमार, अश्विनी महाजन, (2021) ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका का उद्देश्य उत्तरदाताओं के सामान्य एवं पारिवारिक अध्ययन, सचिव, सरपंच, उपसरपंच एवं पंचों की सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक समस्या ज्ञात करना। सचिव, सरपंच व पंचों को ग्राम पंचायत तथा सरकार से प्राप्त होने वाले सुविधाओं को ज्ञात करना। पंचायतों एवं प्रशासन के मध्य भूमिकाओं को ज्ञात करना। पंचायती कार्यों का विश्लेषण से स्पष्ट है कि किसी भी पंचायतीय स्तर के कार्यों में अधिकांशतः किसी न किसी प्रकार की समस्याओं का सामना होता है उन समस्याओं के समाधान में यह पाया गया कि ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास कार्यों में प्रगति लाना चाहिए।

कविता सिलवाल, पदमा सोमनाथे, (2021) ग्रामीण विकास में बजट 2020–21 की भूमिका–एक अध्ययन ''माननीय प्रधानमंत्री जी का एकमात्र उद्देश्य है देश का संपूर्ण विकास, इस हेतु प्रधानमंत्री जी का केन्द्र बिंदु ''ग्रामीण विकास'' है। ज्ञात है भारतवर्ष की पहचान खुशहाल ग्रामीण क्षेत्र ही है। बजट 2020–21 में व्यापार, पर्यटन एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित किया गया है। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए तीन आधार स्तम्भ हैः– व्यापार, पर्यटन एवं प्रौद्योगिकी। अतः वर्ष 2020–21 के बजट में इन तीनों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। अपेक्षित है कि इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास में परिलक्षित होगा।

सोनम चौरसिया, दीप्ति सुनेजा, (2021) ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन में जनसंचार माध्यमों की भूमिका (जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज, रामनगर, बसखारी विकास खण्ड के संदर्भ में) समकालीन विश्व में संचार के जन माध्यमों की भूमिकाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। यह समाजीकरण का एक सशक्त माध्यम बन गया है। सामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रणात्मक दृष्टि रखना संचार माध्यमों की अन्य महत्वपूर्ण भूमिका है। जनसंचार माध्यम

राष्ट्रीय विकास में तीन तरह से सहायक होते हैं। जनता को राष्ट्रीय विकास की सूचना देना, विकास प्रक्रिया में सहभागी बनाना, विकास के लिए आवश्यक तकनीकी दक्षता प्रदना करना। प्रस्तुत शोध पत्र में ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का सूक्ष्म अध्ययन किया गया है।

शोध पत्र का उद्देश्य लोगों में जनसंचार और नवाचार को अपनाने के लिए प्रेरित करना है जिससे क्षेत्र का समन्वित ग्रामीण विकास संभव हो सके।

अजीत कुमार यादव, (2014) सेवा केन्द्र एवं समन्वित ग्रामीण विकास का संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि, वर्तमान काल में मानव के समक्ष सवाधिक ज्वलन्त समस्या आर्थिक एवं प्रादेषिक विकास को गति प्रदान करने की है। विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में यह समस्या और भी गंभीर है। इन देशों के पास संसाधनों के विकास के लिए पूंजी एवं आधुनिक तकनीकी ज्ञान सीमित है। इनकी कमी के कारण विकासशील देश अपने संसाधनों का समुचित उपयोग व विकास नहीं कर पा रहे हैं। फलस्वरूप उनके पास समस्याओं का अम्बार है। ये देश इन समस्याओं से निजात पाने एवं समय से प्रादेषिक विकास करने के लिए प्रयत्नशील है।

अनंत पी (2014) निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह खतरा महसूस होता है कि लोगों के प्रत्यक्ष सशक्तिकरण से उनकी नई–नई स्थिति खत्म हो जाएगी क्योंकि लोग बाद के लोगों के नियोक्ता भी है जो आम तोर पर मजदूर होते हैं लेकिन विडंबना यह है कि जैसा कि पंचायती राज में महिलाएंः भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र नामक एक शोधपत्र में बताया गया है। भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की शुरूआत संविधान में ''शीर्ष'' से संशोधन करके हुई है। यह लोगों द्वारा किए गए किसी बड़े आंदोलन के कारण नहीं हुआ।'' यह इस दिशा में कुछ गंभीर विचार की मांग करता है कि सत्ता समीकरण क्यों बनाए जाते हैं और लगातार गरीबों के अधिक विकास और सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने के किसी भी प्रयास को बाधित करते हैं।

छेत्री (2015) संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची जो पंचायतों से संबंधित है। उसमें कृषि लघु सिंचाई, भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव आदि जैसे 29 विषय शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नीति निर्माताओं द्वारा पंचायतों को उनके विकास के दौरान अलग–अलग भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ सौंपी गई है। पंचायत राज और विभिन्न सरकारों की बाद की नीतियों ने स्थानीय विकास में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जैसे ग्राम स्तरीय पीआरआई की अधिक भूमिका की परिकल्पना की है। ग्रामीण विकास में उनकी एक अपूरणीय भूमिका है। 73वें संशोधन और उसके बाद के राज्य अधिनियमों ने पंचायतों को इस भूमिका को अधिक प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न तंत्र प्रदान किए हैं। स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधि लोकतांत्रिक निकाय होने के नाते, पंचायतें स्थानीय विकास प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए बेहतर रूप से अनुकूल हैं। इन निकायों को बहुविषयक क्षेत्र में अभिनव अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय जर्नल आईएसएसएनः 2455–0620 खंड–7, अंक–6, जून–2021 मासिक, सहकर्मी –समीक्षित, रेफरी, अनुक्रमित जर्नल आईसी मूल्य के साथ 86.87 प्रभाव कारकः 6.719 प्राप्ति तिथिः 13.06.2021 स्वीकृत तिथिः 26.06.2021 प्रकाशन तिथिः 30.06.2021 वाटरशेड विकास, पेयजल वितरण प्रणाली और अन्य समान परियोजनाओं जैसी विकास पहलों की प्राथमिक जिम्मेदारी स्थानीय क्षेत्रों के समग्र और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त में मदद करती हैं। स्थानीय लोगों ने आम तौर पर महसूस किया है कि नौकरशाही की तुलना में पीआरआई विकास लाभ प्रदान करने के लिए बेहतर है। खासकर नौकरशाहों के मुकाबले लोगों के प्रति पीआरआई की बेहतर जवाबदेही के मद्देनजर (मीनाक्षी सुंदरम, 2005)

ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243 जी) के अंतर्गत मदों का वर्गीकरण

मुख्य कार्य

- पेयजल।
- सड़के, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन।
- ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसमें बिजली का वितरण भी शामिल है।
- स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय शामिल है।
- सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव।

कल्याणकारी कार्य

- ग्रामीण आवास।
- गैर–परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत।
- गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
- प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।
- तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।
- वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा।
- पुस्तकालय।
- सांस्कृतिक गतिविधियाँ।
- परिवार कल्याण।
- महिला और बाल विकास।
- विकलांगों और मानसिक रूप से मंद लोगों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण।
- कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

कृषि और संबद्ध कार्य

- कृषि, कृषि विस्तार सहित।
- भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी और मृदा संरक्षण।
- लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटरशेड विकास।
- पशुपालन, डेयरी और मुर्गीपालन।
- मत्स्य पालन।
- सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी।
- लघु वन उपज।
- ईंधन और चारा।
- बाजार और मेले।

उद्योग

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित लघु उद्योग।
- खादी, ग्रामीण और कुटीर उद्योग।

विकेन्द्रीकृत और लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक लचीले सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों को प्रोत्साहित कर सकती है (विशेष रूप से, जो कृषि उत्पादकता से दूर जाती है) ग्रामीण विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बढ़ाती है और क्षेत्रों के भीतर आर्थिक असमानताओं को कम करना (मनोर, 1999, अजहरूद्दीन, 2018) ने बताया कि पंचायती राज प्रणाली की शुरूआत से अपेक्षित सामाजिक–राजनीतिक बदलाव पूरे नहीं हुए हैं और लंबे समय तक काफी हद तक अधूरे रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक समानता, लैंगिक समानता और जमीनी स्तर पर नेतृत्व में बदलाव जैसे उद्देश्य पंचायती राज के मुख्य उद्देश्यों के रूप में परिकल्पित है, जो सार्थक तरीके से हासिल नहीं हुए हैं। अखिल भारतीय स्तर पर नियोजन की प्रणाली को बदलने की जरूरत है। नियोजन प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के संदर्भ में क्षेत्रीय नियोजन से क्षेत्रीय नियोजन की ओर क्रमिक बदलाव आवश्यक है। अनुप्रिया, एट अल (2017) ग्रामीण समुदायों की जरूरत विकास लक्ष्यों की एक विस्तृत श्रृंखला है। ग्रामीण लोगों

को उचित शिक्षा, बुनियादी ढांचा सुविधाएं, उद्यमिता कौशल आदि दिए जाने की जरूरत हैं। ग्रामीण विकास एक गतिशील प्रक्रिया है, जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है जिसमें कृषि विकास, आर्थिक, सामाजिक बुनियादी ढांचा, भूमिहीनों के लिए आवास और घर स्थल, ग्राम नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और कार्यात्मक साक्षारता संचार आदि शामिल हैं।

राज्य की जिलावार स्थिति, भौगोलिक क्षेत्रफल, जनसंख्या, लिंग अनुपात एवं साक्षरता

क्र.	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या	लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या)	साक्षरता दर
1.	रायपुर	6965.36	2159880	961	81.42
2.	दुर्ग	3069.10	1721726	966	83.16
3.	बिलासपुर	6929.43	1960466	971	73.68
4.	राजनांदगांव	8022.52	1537520	1017	76.97
5.	धमतरी	4081.93	799199	1012	78.95
6.	कबीरधाम	4447.05	822239	997	61.95
7.	बस्तर	6418.05	833318	1018	51.05
8.	कांकेर	6432.68	748593	1007	70.97
9.	जांजगीर–चांपा	4466.74	1620632	986	73.70
10.	कोरबा	7145.44	1206563	971	73.22
11.	रायगढ़	6527.74	1493627	993	73.70
12.	जशपुर	6457.41	852043	1004	68.60
13.	सरगुजा	9441.56	842085	977	61.80
14.	कोरिया	5977.70	659039	971	71.41
15.	बीजापुर	6552.96	255180	982	41.58
16.	नारायणपुर	6922.68	140206	998	49.59
17.	बलरामपुर	3803.08	730275	971	59.20
18.	सूरजपुर	2789.76	788969	979	62.26
19.	महासमुंद	4963.01	1032275	1018	71.54
20.	दंतेवाड़ा	5710.99	282803	1025	49.11
21.	बलौदाबाजार	3593.86	1304881	1004	71.50
22.	गरियाबंद	2887.06	597399	1018	69.03
23.	बालोद	2777.89	826019	1023	80.36
24.	बेमेतरा	2854.81	795334	1001	70.59
25.	कोण्डागांव	3684.83	578326	1034	61.31
26.	सुकमा	3335.30	249988	1018	35.43
27.	मुंगेली	1639.42	701611	976	65.56
	योग	137898.36	2550196	991	71.04

छत्तीसगढ़ के स्थानीय निकायों की संभागवार जानकारी

संभाग	क्र.	जिले का नाम	पंचायती राज संस्थाएं			नगरीय स्थानीय निकाय			
			जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	नगर पालिक निगम	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत	योग
रायपुर	1.	रायपुर	1	4	408	2	3	4	9
	2.	बलौदाबाजार	1	6	611	—	2	7	9
	3.	गरियाबंद	1	5	332	—	1	3	4
	4.	महासमुंद	1	5	545	—	3	3	6
	5.	धमतरी	1	4	355	1	—	5	6
दुर्ग	6.	दुर्ग	1	3	297	3	3	3	9
	7.	बालोद	1	5	421	—	2	6	8
	8.	बेमेतरा	1	4	387	—	1	7	8
	9.	राजनांदगांव	1	9	798	1	2	5	8
	10.	कबीरधाम	1	4	461	—	1	5	6
बस्तर	11.	बस्तर	1	7	369	1	—	1	2
	12.	कोण्डागांव	1	5	306	—	1	2	3
	13.	नारायणपुर	1	2	98	—	1	—	1
	14.	उ.ब. कांकेर	1	7	427	—	1	5	6
	15.	द.ब. कांकेर	1	4	124	—	3	2	5
	16.	सुकमा	1	3	135	—	1	2	3
	17.	बीजापुर	1	4	169	—	1	2	3
बिलासपुर	18.	बिलासपुर	1	7	645	1	3	8	12
	19.	मुंगेली	1	3	350	—	1	3	4
	20.	जांजगीर चांपा	1	9	631	—	4	11	15
	21.	रायगढ़	1	9	761	1	2	7	10
	22.	कोरबा	1	5	390	1	2	2	5
सरगुजा	23.	सरगुजा	1	7	399	1	—	2	3
	24.	बलरामपुर	1	6	415	—	1	4	5
	25.	सूरजपुर	1	6	424	—	1	5	6
	26.	कोरिया	1	5	286	1	3	3	7
	27.	जशपुर	1	8	427	—	1	4	5
		योगः	27	146	10971	13	44	111	168

(स्त्रोतः पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

निर्णय एवं सुझाव

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नीति निर्माताओं द्वारा पंचायतों को उनके विकास के दौरान अलग–अलग भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। पंचायत राज और विभिन्न सरकारों की बाद की नीतियों ने स्थानीय विकास में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जैसी ग्राम स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की अधिक भूमिका की परिकल्पना की है। ग्रामीण विकास में उनकी एक अपूरणीय भूमिका है। 73वें संशोधन और उसके बाद के राज्य अधिनियमों ने पंचायतों को यह भूमिका अधिक प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न तंत्र प्रदान किए हैं। स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधि लोकतांत्रिक निकाय होने के नाते, पंचायतें स्थानीय विकास प्रक्रिया की देखरेख के लिए बेहतर रूप से अनुकूल हैं। इन निकायों को वाटरशेड विकास, पेयजल वितरण प्रणाली और इसी तरह की अन्य परियोजनाओं जैसे विकास पहलों की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपने से स्थानीय क्षेत्रों के समग्र और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। स्थानीय लोगों ने आम तौर पर महसूस किया कि विकास लाभ पहुंचाने के लिए पीआरआई नौकरशाही की तुलना में बेहतर हैं, खासकर नौकरशाहों की तुलना में लोगों के प्रति पीआरआई की बेहतर जवाबदेही के मद्देनजर (मीनाक्षी सुंदरम, 2005)।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण और उदारीकरण के युग में पंचायती राज निकायों की समीक्षा करना अनिवार्य है। स्थानीय पहल और विकास के प्रयास ग्रामीण समुदायों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता और आय सृजन को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार गांवों को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को एक प्रभावी उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करके ग्रामीण शहरी विभाजन को कम किया जा सकता है। पंचायत राज का दर्शन ग्रामीण भारत की परंपरा और संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है। यह किसी भी तरह से एक नई अवधारणा नहीं है। पंचायत राज ने ग्राम स्तर पर स्वशासन की एक प्रणाली प्रदान की जिसमें पंचायत राज संस्थाएं स्वशासन की जमीनी इकाई हैं। इसे ग्रामीण भारत में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का वाहन घोषित किया गया है। इन निकायों का प्रभावी और सार्थक कामकाज इसके नागरिकों, पुरूष और महिला दोनों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करेगा। आर्थिक विकास में पंचायतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

संदर्भ सूची

1. छेत्री, डी.पी. (2015) पूर्वोत्तर भारत में ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका पर सवाल, XVI वार्षिक सम्मेलन कार्यवाही http://www.internationalconference.in/XVI_AIC/INDEX.HTM, Accessed on 10/04/2025.
2. कदम, आर.एन. (2012) ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायत की भूमिकाः मुधोल तालुका, बागलकोट जिला (कर्नाटक) के उत्तरूर गांव का एक अध्ययन, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग,* 2(10), 14–29.
3. अनंत, पी. (2014) भारत में पंचायती राज, *जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड सोशल पॉलिसी,* 1(1), पृ. 1.
4. मैनर, जेम्स (1999) *लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था,* विकास श्रृंखला में दिशा, वाशिंगटन डी.सी., विश्व बैंक।
5. अजहरूद्दीन, मोहम्मद (2018) ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिकाः उनके कामकाज को बेहतर बनाने के उपाय, *इंडियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल,* 5(1), 21–24.
6. अनुप्रिया, एम.के.एम. (2017) ग्रामीण भारत– अर्थव्यवस्था की मजबूती, इंजीनियरिंग विज्ञान, मानविकी और प्रबंधन में हाल के रूझानों पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, श्री एस रामासामी नायडू मेमोरियल कॉलेज, सत्तूर, तमिलनाडु, भारत।
7. मीनाक्षीसुंदरम, एस.एस. (2005) एल.सी. जैन (संपादक) *विकेन्द्रीकरण और स्थानीय शासन में पंचायती राज के लिए ग्रामीण विकास,* ओरिएंट लॉन्गमैन, नई दिल्ली।
8. Mishra, A.K.; Akhtar, Naved; and Tarikay, Sakshi (2011) Role of Panchayati Raj Institutions in Rural Development: An Analytical Study of Uttar Pradesh, Management Insigth, 7(1), P. 83-94.
9. महिपाल (2004) पंचायती राज एवं विकास, योजना, वाल्यूम 48, अगस्त 2004, पृ. 49।
10. सिंह, संगीता (2014) *पंचायती राज एवं सरकारी योजनाएं,* ज्योत्सना पब्लिकेशन डी.–811, गली नं. 7, अशोक नगर दिल्ली, पृ. 172, 173।
11. https://prd.cg.gov.in/, Accessed on 04/05/2025.
12. https://dprcg.gov.in/news, Accessed on 08/05/2025.

****